राजस्थान विश्वविद्यालय

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 302004
दूरभाष :– 0141–2711070, संस्थापन–द्वितीय :– 2256702
E-mail : drestablishment2@gmail.com

क्रमांक : संस्था.–2/ 2024/ दिनांक : 25/01/2024

1. समस्त विभागाध्यक्ष, शैक्षणिक विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. समस्त प्राचार्य, संघटक महाविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. समस्त निदेशक, पी.जी. स्कूल्स/ केन्द्रीय पुस्तकालय/ पोद्दार प्रबन्ध संस्थान।
4. मुख्य कुलानुशासक/ अधिष्ठाता, छात्र कल्याण कार्यालय, रा.वि.वि., जयपुर।
5. मुख्य आवासाधिकारी (छात्र/ छात्रा), राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. वित्त नियन्त्रक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. विश्वविद्यालय अभियन्ता/प्रभारी उद्यान/प्रभारी अतिथि गृह, रा.वि.वि., जयपुर।
8. परीक्षा नियन्त्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
9. जनसम्पर्क अधिकारी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
10. समस्त उप कुलसचिव/ सहायक कुलसचिव, रा.वि.वि., जयपुर।
11. विधि परामर्शी/ विधि सहायक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

परिपत्र

विषय : संविदा पर पुनर्नियुक्त की सेवाओं के संबंध में।

महोदय/ महोदया,

प्रायः यह देखा गया है कि विश्वविद्यालय के विभागों/अनुभागों/संघटक महाविद्यालयों/ इकाइयों में विभिन्न पदों पर संविदा पर सेवानिवृत कर्मचारियों की कार्यावधि समाप्त होने के बावजूद भी बिना सक्षम स्वीकृति के सतत रूप से कार्य लिया जाता है। यह प्रशासनिक व्यवस्था एवं नियमों के विरूद्व है। और इस प्रकिया के तहत इनको भुगतान नियमानुसार देय नही होता है।

सेवानिवृत के पश्चात् संविदात्मक पुनर्नियुक्ति के तहत कार्यरत सेवानिवृत कर्मचारियों, जिनकी कार्यावधि समाप्त हो जाती है तो बिना सक्षम स्वीकृति के पद पर कार्य सम्पादित नहीं कराया जावे। कार्यावधि में अभिवृद्वि हेतु सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही संविदा पर सेवानिवृत कार्मिक की सेवाएँ ली जावे अन्यथा बिना सक्षम स्वीकृति के अभाव में भुगतान देय नहीं होगा।

यदि उक्त प्रकिया की अवहेलना की जाती है तो संविदा पर सेवानिवृत कर्मचारी के भुगतान एवं अन्य प्रभार के लिए समस्त उत्तदायित्व संबंधित विभागाध्यक्ष/प्राचार्य/इकाई प्रभारी एवं नियंत्रक अधिकारी का होगा। इस हेतु कार्योत्तर अथवा पूर्ववर्ती प्रभाव से आदेश स्वीकृति जारी नहीं किया जायेगा।

(कालूराम)
कुलसचिव

क्रमांक : संस्था.–2/ 2024/112-89-90 दिनांक : 25/01/2024

प्रतिलिपि : वरिष्ठ निजी सहायक–कुलपति/ कुलसचिव, रा.वि.वि., जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

25-1-24
(सुरेश चन्द्र शर्मा)
सहायक कुलसचिव (संस्था.–2)